राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 10 फरवरी, 1994

क्रमांक 4541-ज-2-93/2628.—श्री हाकम राय पुत्र श्री बलाकी राम, निवासी मोहल्ला माजरी शाहबाद, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2552-ज (2)-75/33375, दिनांक 7 नवम्बर, 1975 द्वारा 150 रुपये और इसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री हाकम राये की दिनांक 5 जुलाई, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री हाकम राये की विधवा श्रीमती देवकी रानी के नाम रबी 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 11 फरवरी, 1994

क्रमांक 4579-ज-(2)-93/2711.—श्री दलीप सिंह, पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गांव खरावड़, तहसील व जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1556-ज-(2)-82/35151, दिनांक 6 अक्तूबर, 1982 द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री दलीप सिह की दिनांक 26 जून, 1993 को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री दलीप सिह की विधवा श्रीमती रुकमण देवी के नाम रबी, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 11/16 फरवरी, 1994

क्रमांक 4578-ज-(2)-93/2715.—श्री दीवान सिंह, पुत्र श्री रामा, निवासी, गांव कुलताना, तहसील झज्जर, अब रोहतक, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2449-आर-4-67/2211, दिनांक 7 जुलाई, 1967 द्वारा रुपये 100 वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री दिवान सिंह की दिनांक 28 अगस्त, 1993 को हुई मृत्य के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदाम की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री दिवान सिंह की विधवा श्रीमती धापो के नाम रबी, 1994 से 1,000 रुपय वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 16 फरवरी, 1994

क्रमांक 67-ज-II-94/2928.—श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री खोजू सिंह, निवासी गांव बम्मोल, तहसील, जगाधरी, जिला अम्बाला अब यमुनानगर को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1547-ज-I-75/19384, दिनांक 2 जुलाई, 1975 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री प्रेम सिंह की दिनांक 1 दिसम्बर, 1988 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री प्रेम सिंह की विधवा श्रीमती अमर कौर के नाम खरीफ, 1989 से खरीफ '92 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1994 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।